

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 24/2020

उनवान

1. फकीर मोहम्मद पिता मोहम्मद निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला-भीलवाडा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णादेवी पत्नि ओमप्रकाश सोनी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. हाजी शब्बीर हुसेन पिता कासमजी मुसलमान निवासी हमीरगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19.04.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 762 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1412 रकबा 0.3161 है, आराजी संख्या 1413 रकबा 0.5690 है, आराजी नम्बर 1415 रकबा 0.4552 है, आराजी नम्बर 1785 रकबा 0.9231 है कुल किता 04 कुल रकबा 2.2634 है एवं खात संख्या 170 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1397 रकबा 0.2529 है, आराजी नम्बर 1398 रकबा 0.3541 है आराजी नम्बर 1399 रकबा 0.4552 है आराजी नम्बर 1416 रकबा 2.0611 है कुल किता 04 कुल रकबा 3.1233 है वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.03.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 02 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-::आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 762 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1412 रकबा 0.3161 है, आराजी संख्या 1413 रकबा 0.5690 है, आराजी नम्बर 1415 रकबा 0.4552 है, आराजी नम्बर 1785 रकबा 0.9231 है कुल किता 04 कुल रकबा 2.2634 है एवं खात संख्या 170 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1397 रकबा 0.2529 है, आराजी नम्बर 1398 रकबा 0.3541 है आराजी नम्बर 1399 रकबा 0.4552 है आराजी नम्बर 1416 रकबा 2.0611 है कुल किता 04 कुल रकबा 3.1233 है जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 2400/- रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

